

शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार
(ल० 5.00 किमी०)

1:50,000



Legend
Plantation Zone

शहीद मोहन सिंह
मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार
(ल० 5.00 किमी०)

(Signature)

प्रमाणित वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(Signature)
सहायक वनियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वधिकारी वनियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

(Signature)
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार
(ल० 5.00 किमी०)



Legend

Plantation Zone

(Signature)

(Signature)

ज० नि० वि० अल्मोड़ा
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रमाणित वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सहायक वनियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

© 2014 Google
Image © 2014 DigitalGlobe
Imagery Date: 12/7/2011 29°26'02.87" N 79°51'09.83" E Alt: 590ft. Layer: 500m

NON.Z.H. खतोनी उद्दरण - शाम-भनरगाँव
 पटवारीखेत - पातलीबागड तह - सोभेखर जिला - अल्मोडा
 पेची ई (3)ड.

खण्ड सं.	खतिदार का नाम	फसली सं.	खेत सं.	खेतफल	लगान	विवरण
29	ब. बाग मा. X.		1	1.911		
			4	0.104		
			13	0.008		
			40	0.003		
			/			
			जमिया:			
			1262	0.191		
			1264	0.020		
			1270	0.441		
			/			
			जमिया:			
			1865	0.667		
			1868	0.178		
			1872	0.032		
			1873	0.025		
/						
जमिया:						
1857	0.908					
2047	0.908					
1857	0.564					
2048	0.564					
1857	0.655					
1857	0.470					
2050	0.470					
योग	128	27.440		1392 लक		


महोदय
 NON.Z.H. खतोनी उद्दरण
 तैयार किया,
 राजेश कुमार शर्मा
 क्षेत्र - पातलीबागड
 सहायक - सोभेखर
 जिला - अल्मोडा.

रजिस्ट्रार
 क्षेत्र - पातलीबागड
 सहायक - सोभेखर
 जिला - अल्मोडा.




क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.35 है० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.70 है० भूमि ग्राम भनर गांव की सिविल बेनाप खाता सं० 29 श्रेणी 9 (3) ड तक राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा




अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.35 है० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.70 है० भूमि ग्राम भनर गांव की सिविल बेनाप खाता सं० 29 श्रेणी 9 (3) ड तक राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम भनर गांव की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत है।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा




अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

**क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम
हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रिजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.35 है० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.70 है० भूमि ग्राम भनर गांव की सिविल बेनाप खाता सं० 29 श्रेणी 9 (3) ड तक राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम भनरगांव की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावना:- इस मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०संख्या 3704/111 (2)/2008/49 एम०एल०ए० /2008 दि. 19.11.2008 के द्वारा 175.00 लाख की प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है। जिसकी पूर्व स्वीकृति शासनादेश संख्या 1005/7-1-2006-600 (1224)/2005 दि. 18.1.06 द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी। जिसमें मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मोटर मार्ग के निर्माण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ना /उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बाजार तक पहुंचाना एवं क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर कराना है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1-	खडाऊ	126
2-	गंगोलाकोटली	455
3-	चुराड़ी	112
4-	भकुना	1144
5-	बसोली	322
6-	भैसाड़ी	265
योग		2424

मार्ग निर्माण हेतु 2 समरेखनों पर विचार एवं सर्वेक्षण किया गया।


समरेखन नं० 1- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला -बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के समीप जोड़ता है। इसमें दो हेयर पिन बैण्ड आते हैं, तथा नाप /सिविल भूमि (राज्य भूमि) पड़ती है। इस समरेखन में लागत एवं मार्ग की लम्बाई कम होने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलेगा, तथा इस समरेखन में गांव वासियों की सहमति भी प्राप्त है। अतः इस समरेखन को स्वीकृत किया गया है।


समरेखन नं० 2- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला -बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के समीप जोड़ता है। इसमें चार हेयर पिन बैण्ड आते हैं, जिससे मार्ग की लम्बाई एवं लागत बढ़ती है। इस समरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की गई है। इस समरेखन में नाप /सिविल भूमि (राज्य भूमि) / आरक्षित भूमि अधिक मात्रा में प्रभावित होने के कारण इस समरेखन को निरस्त किया गया।

उपर्युक्त दोनों समरेखन गुणावगुण पर विचार के उपरान्त समरेखन नं० 1 को मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है, को अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उद्देश्य- इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभान्वित होंगे एवं उक्त मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा, एवं ग्रामवासियों को यातायात, कास्तकारों को दैनिक /सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

संस्तुति:- इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण ल० 5.00 किमी० एवं चौड़ाई 9मी. में ली गयी है। प्रभावित वृक्षों की गणना मात्र 7मी० चौड़ाई में की गयी है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। जिनको कम किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 2.35 है० सिविल बेनाप राज्य भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ यह वन भूमि न्यूनतम है। जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर पूर्व स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रेषक,
महिला,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 16 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

- महोदय,
- चुम्बुवा विषयक मुख्य अभियन्ता कुशोरो लोनिओडिओ अहमोड़ा द्वारा सफलता करारये 16 (सोन्मर) कार्यों का लागत कुल रूपये 1571.84 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. विस्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1571.84 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ बयहत्तर लाख चौसठी हजार मात्र) की धनराशि की उम्मेद सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न नियमानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित निगरानुसार कुल रूपये 01.60 लाख (एक एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी औ राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
- आगणन जो उल्लिखित शर्तों का विरलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नरों को जो दर्श शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन गृषि एवं निजी गृषि (अदि) की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का पुनर्तान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं गृषि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 - कार्य कराने से पूर्व विरत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सभा, प्राधिकारी से प्राधिकृत स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राधिकृत स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
 - कार्य पर उत्तान ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
 - कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
 - एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विरत आगणन गठित कर नियमानुसार सभा प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/शिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
 - कार्य कराने से पूर्व रथत का मली गौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं गू-गर्मवेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के परचात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपनी के अनुरूप कार्य किया जाय।
 - आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उरती मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

संख्या-37.04 / 111(2) / 08-49(एचएलएओ) / 08

अपने दूरभाष से ईर जति-ने, प्रम-में

34
(अध्यक्ष)
उत्तराखण्ड शासन,
नामिक सुरक्षा एवं होमगार्ड
उत्तराखण्ड सरकार

देहरादून, दिनांक 19 नवम्बर, 2008

फोटो प्रति सत्यापत

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोनिओडिओ
अहमोड़ा

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर को कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय धनराशि का आहरण न करके धनराशि शालन को समर्पित कर दी जायेगी।
- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के विधियों तथा अन्य यथापनी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उम्मेद होय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विरत आगणनों पर सभा प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति विभाग की 2008 विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति शकनीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
- आगामी किरत तब ही अनुमोदित की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किरत अनुमोदित की जायेगी।
- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- यदि उक्त कार्य के विरत पूर्व में किसी अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषान्तर से आहरण किया जायेगा।
- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अर्थ सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 गृह निर्माण कार्य के नामे अंतर्गत जायेगा।
- यह आदेश विस्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ए.ओ.-865 / XXVI(2) / 2008 दिनांक 12 नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहगति से जारी किया जा रहा है।

गतदीय,
(महिला)
अनु सचिव

संख्या-37.04 (1) / 111(2) / 08-49(एचएलएओ) / 08

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- महालेखकार (लेख प्रथम) लोनिओडिओ विरत, पाऊर देहरादून।
- आयुक्त कुर्मोय मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी अहमोड़ा।
- मुख्य अभियन्ता, कुर्मोय क्षेत्र, लोनिओडिओ अहमोड़ा।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकीर्ण उत्तराखण्ड शासन।
- लोक निर्माण अनुभाग-1/उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।


फोटो प्रति सत्यापत
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोनिओडिओ
अहमोड़ा

आज्ञा से,
(महिला)
अनु सचिव

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.35 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी

शतिशुभाश्रित

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


वन विभाग
अल्मोड़ा


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

लैन्ड शेड्यूल

(आरक्षित वन भूमि)


जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
-शून्य-						


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


वन विभाग
अल्मोड़ा


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	2611.11	9	2.35
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो) वन भूमि का योग			
4	नाप भूमि	2388.88	9	2.15
	कुल योग-	4999.00	9	4.50

सहायक अभियन्ता,
निर्माण विभाग, ल० वि० वि०
अल्मोड़ा

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रयोक्ता ए० ए० ए०
निर्माण विभाग, ल० वि० वि०
अल्मोड़ा

वाकई तदर्थ
कृपया २०/०५/०५

ए० ए० अभियन्ता
अल्मोड़ा - अ० वि०


ए० ए० अभियन्ता
अल्मोड़ा - अ० वि०

प्रपत्र-17

BAR-CHART

SCALE 1CM=100M

जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०) का निर्माण।



JUNIOR ENGINEER
CONSTRUCTION

ASSISTANT ENGINEER
DIVISION

EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. - ALMORA

वाकई तदर्थ
कृपया २०/०५/०५

सहायक अभियन्ता,
निर्माण विभाग, ल० वि० वि०
अल्मोड़ा

ए० ए० अभियन्ता
अल्मोड़ा - अ० वि०

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रयोक्ता ए० ए० ए०
निर्माण विभाग, ल० वि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- बिल्लेख क्षेत्रफल (है0) 4.70

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (है0/सं0)	इकाई दर (₹)	योग
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1000 पौधे/है0)		4700		1000
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.70	97.00	455.90
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.70	584.00	2744.80
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)	4.70	6300.00	29610.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	4.70	7750.00	36425.00
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	4700	7.33	34451.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.70	485.00	2279.50
7	पौधों का मूल्य	4700	5.89	27683.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.70	400.00	1880.00
9	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (प्रथम चरण)				136234.20
द्वितीय चरण				
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	4700	1.15	5405.00
2	पौधों का मूल्य	4700	1.15	5405.00
3	पौधे ढलान कार्य	4700	6.15	28905.00
4	पौधा रोपण व थाबलाबन्दी	4700	2.06	9682.00
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	4700	0.76	3572.00
6	खाद व दवा पर व्यय	4.70	420.00	1974.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8Month	5960.00	47680.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	4.70	350.00	1645.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	4.70	200.00	940.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.70	400.00	1880.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधे ढलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	4.70	700.00	3290.00
10	अन्य कार्य	4.70	100.00	470.00
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				110848.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	71520.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	4.70	350.00	1645.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	4.70	225.00	1057.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.70	200.00	940.00
3	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				75867.50
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				48385.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				48385.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				48385.00
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)				48385.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				48385.00
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5960.00	47680.00
2	अन्य कार्य	4.70	150.00	705.00
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				48385.00
कुल योग :-				613259.70
या :-				613000.00

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तर ही मानी जायेगी

(Handwritten Signature)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन वन संरक्षण
अल्मोड़ा वन प्रभाग

अधिसूचना अधिनियम,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ~~विल्लेख~~ स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


प्रभाकर सिंह


प्रभाकर सिंह


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी


वन वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 2.35 है0 वनभूमि की देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


अधिसूत्री अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजन्सी

प्रपत्र-46

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

लम्बाई 5.00

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (170 पौधे/किमी0)

850

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (हे0/सं0)	इकाई दर (₹)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	5.00	97.00	485.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	5.00	584.00	2920.00
3	फेन्सिंग/ट्री गार्ड	850	810.00	688500.00
4	गड़ड़ा खुदान (0.30X0.30X0.45)	850	7.33	6230.50
5	पौधों का मूल्य	850	5.89	5006.50
6	अन्य कार्य	5.00	1000.00	5000.00
योग :- (प्रथम चरण)				708142.00
द्वितीय चरण				
1	गड़ड़ा भरान (0.30X0.30X0.45)	5.00	1.15	5.75
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5.00	1.15	5.75
3	पौधे ढुलान कार्य	5.00	6.39	31.95
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	5.00	2.06	10.30
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	5.00	0.76	3.80
6	खाद व दवा पर व्यय	5.00	0.22	1.10
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	6 Month	5960.00	35760.00
8	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधे ढुलान हेतु टोकरे, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना	5.00	200.00	1000.00
9	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (द्वितीय चरण)				37818.65
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				745960.65
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति है0	4.70	350.00	1645.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	4.70	225.00	1057.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.70	310.00	1457.00
3	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				40919.50

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	100.00	500.00
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				36260.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				36760.00
कुल योग :-				1007425.15
या :-				1007400.00

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तह ही मानी जायेगी

(Handwritten Signature)

अधिकांश अधिवक्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०बि०
अल्मोड़ा

एन एच विभाग
अल्मोड़ा एन एच

प्रशासकीय अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
अल्मोड़ा

अधिकांसी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
प्रयौक्ता एजेन्सी
अल्मोड़ा

प्रपत्र-19

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 15.02.2011 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र. सं०	भूमि की श्रेणी	व ब्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80		
1	सिविल सोयम	गंगोला कोटली	बोड़- Pinus roxburghii sarg	4	13	2	-	-	-	-	19	
			बाज- Quercus leucotrichophora	9	1	-	-	-	-	10		
		चुराडी	बाज- Quercus leucotrichophora	9	4	1	-	-	-	14		
			चीड़- Pinus roxburghii sarg	23	15	11	3	1	1	54		
		भकुना	बाज- Quercus leucotrichophora	-	1	-	-	-	-	1		
			बोड़- Pinus roxburghii sarg	75	55	25	17	6	2	180		
योग				120	89	39	20	7	3	278		
2	नाप भूमि	गंगोला कोटली	बाज- Quercus leucotrichophora	4	-	-	1	-	-	-	5	
			चीड़- Pinus roxburghii sarg	3	-	2	2	-	-	7		
		भकुना	बोड़- Pinus roxburghii sarg	-	-	-	1	-	-	1		
			बाज- Quercus leucotrichophora	-	4	-	-	-	-	4		
		कुल योग				7	4	2	4			17
कुल योग				127	93	41	24	7	3	-	295	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी

राजस्व विभाग

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.07.2013 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र सं०	भूमि की श्रेणी	ज ब्लॉक/ कम्पार्टमेंट/ खसरा सं०	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग					योग
					10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	शिविल सोयम	गंगोला कोटली	बाँज	Quercus leucotrichophora	9	1	-	-	-	10
		चुराड़ी	बाँज	Quercus leucotrichophora	9	4	1	-	-	14
		भकुना	बाँज	Quercus leucotrichophora	-	1	-	-	-	1
3	वन पचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	संरक्षित वन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि				18	6	1	-	-	25
	नाप भूमि	गंगोला कोटली	बाँज	Quercus leucotrichophora	4	-	-	1	-	5
		भकुना	बाँज	Quercus leucotrichophora	-	4	-	-	-	4
4	कुल योग :-				22	10	1	1		34

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वाइल्ड वन
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन संरक्षक

वाइल्ड वन
अल्मोड़ा

अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से

आवेदित भूमि 295 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिसारी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

वाइल्ड वन
अल्मोड़ा

सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वन संरक्षक,
अल्मोड़ा

वाइल्ड वन
अल्मोड़ा

प्रपत्र-24


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


प्रयोक्ता एफ.एल.सी.
निर्माण डिविज़न, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी


ए.ए.सी.
ए.ए.सी.
ए.ए.सी.
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


सहयुक्त प्रभयन्ता,
निर्माण डिविज़न, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


ए.ए.सी.
ए.ए.सी.
अल्मोड़ा

MUCK DISPOSAL PLAN

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

1. Construction of **Shahid Mohan Singh Motor road to Basoli** muck disposal annexure I .
2. Details of muck disposal yards with lana owner annexure II



J.E.

C.D., P.W.D. Almora



A.E.

C.D., P.W.D. Almora

परिभाषित करिष्यते
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा



E.E.

C.D., P.W.D. Almora

परिभाषित करिष्यते
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०)

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

ANNEXURE-I

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार
(लम्बाई 5.00 किमी०)

S.No.	Material receiving from hill cutting 1/2(5000x3x3)	22500	cum
	40% for swell factor	9000	cum
	Total	31500	cum
Disposal and Use of Material			
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5- 1x5x350(1.93+0.60)/2x4	8855.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid in dry- 1x5x250(0.90+0.60)/2x1.80	1687.50	cum
3	Hand packed stone filling- 1x5x1/2x350x1x4	3500.00	cum
4	Construction of Scupper- 1x5x8x37.09	1483.60	cum
5	Soling work- 1x5x1000x4.05x0.12	2430.00	cum
6	Construction of pucca drain- 1x5x450x0.60x0.60	810.00	cum
7	Construction of wire creat- 1x5x10x6.75	337.50	cum
	Total used	19103.60	cum
	Material disposal by cartage in dumping yard	12396.40	cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (Cum)
km. 1 hec. 2-4	50x7x5	Private Land	1750.00
km. 1 hec. 8-10	45x6x4	Private Land	1080.00
km. 2 hec. 0-2	40x8.5x5	Private Land	1700.00
km. 2 hec. 4-6	50x6x4	Private Land	1200.00
km.3 hec. 0-2	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 4 hec. 4-6	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 5 hec. 0-2	56x9x5	Private Land	2520.00
km. 5 hec. 8-10	50x6x5	Private Land	1500.00
	Total		12550.00

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in dumping Zone	Balance Dabries
	31500.00	12396.40	19103.60	12396.40	-

Signature

Signature
सहायक बाधयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

Signature
जनपद अल्मोड़ा के सहायक बाधयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

ANNEXURE-II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

S. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in sqm	Land area being used for dumping yard (sqm.)	Longitude	Latitude
1	km. 1 hec. 2-4	Shri Bhagwat /Singh S/O Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.033	330.00	330.00	29°41'45.21" N	79°40'41.51"E
2	km. 1 hec. 8-10	Shri Jewan singh S/O Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.016	160.00	160.00	29°41'42.06" N	79°40'50.03"E
3	km. 2 hec. 0-2	Shri Govind Singh S/O Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.010	100.00	100.00	29°41'40.77" N	79°40'53.65"E
4	km. 2 hec. 4-6	Shri Virendra Singh S/O Sri Bishan Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.005	50.00	50.00	29°41'40.74" N	79°40'59.53"E
5	km.3 hec. 0-2	Shri Nandan Singh S/O Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'39.97" N	79°41'13.68"E
6	km. 4 hec. 4-6	Shri Shiv Singh S/O Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'41.69" N	79°41'27.65"E
7	km. 5 hec. 0-2	Shri Sher Singh S/O Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.045	450.00	450.00	29°41'49.10" N	79°41'37.42"E
8	km. 5 hec. 8-10	Shri Bishan Singh S/O Sri Mote Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.071	710.00	710.00	29°41'48.13" N	79°41'47.06"E
		Total	0.198	1980.00	1980.00		
					0.198hec.		

Signature

Signature
सहायक बाधयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

Signature
जनपद अल्मोड़ा के सहायक बाधयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोडा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०)

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु विन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल:- 0.198

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (0.198 X 2000= 552 पौध)

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रु० में)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.198	है०	97.00	19.21
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.198	है०	584.00	115.63
3	कुली दीवाल बन्दी (फन्सिंग)	0.198	है०	26460.00	5239.08
4	गड़डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	396.00	गड़दा	7.33	2902.68
5	डी०ए०पी० खाद की लागत (50ग्राम प्रति गड़डा)	-	-	-	-
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	0.198	है०	485.00	96.03
7	पौधों का मूल्य	396	पौध	5.89	2332.44
8	भूमि संरक्षण एवज ल संरक्षक कार्य (10है०) के आधार पर मानते हुए				
	वानपस्पतिक/स्टोन चैकडेम 8x8426.4=87411.2				
	वाटर हावेस्टिंग टैंक (3x2.5x1)5x5140=25700				
	योग= 87411.2+25700=93111.20	0.198	है०	93111.20	93111.20
	अन्य कार्य			400.00	400.00
	योग:-प्रथम चरण				104216.27

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैटाना गाजर घास/काला बांस)	-	-	-	-
2	गड़डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)	396	गड़दा	1.15	455.40
3	पौध दुलान कार्य	396	पौध	6.39	2530.44
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	396	पौध	2.06	815.76
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्विंग	396	पौध	0.76	300.96
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्विंग	396	पौध	1.15	455.40
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	396	पौध	1.15	455.40

8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.198	है०	0.21	0.04
	घास पूस हटाना	0.198	है०	350	69.30
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.198	है०	225	44.55
	प्रचार प्रसार	0.198	है०	400	79.20
	प्रोत्साहन	0.198	है०	200	39.60
10	अन्य कार्य	0.198	है०	700	138.60
	योग द्वितीय चरण				6328.72
	योग प्रथम चरण+द्वितीय चरण				110544.98

तृतीय चरण (10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०)

1	पौध की लागत	396	पौध	5.50	2178.00
2	पौध दुलान कार्य	396	पौध	6.00	2376.00
3	पुनः गड़दे खोदना एवं रोपण कार्य	396	पौध	3.20	1267.20
4	गड़दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	396	पौध	1.31	518.76
5	पौधों की शीतकालीन मल्विंग	396	पौध	1.11	439.56
6	वनीकरण चौकीदार (12माह)	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.198	है०	310.00	61.38
	योग तृतीय चरण				7784.96

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग चतुर्थ चरण				1005.44

पंचम चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग पंचम चरण				1005.44

छठा चरण (रख रखाव कार्य)

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग छठा चरण				1005.44

सातवां चरण (रख रखाव कार्य)

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
---	--	-------	-----	-------------------	--------

(Signature)

अधीक्षक, वन विभाग, वन वि०, वन वि०

(Signature)
अधीक्षक, वन विभाग, वन वि०, वन वि०

(Signature)

अधीक्षक, वन विभाग, वन वि०, वन वि०

(Signature)
अधीक्षक, वन विभाग, वन वि०, वन वि०

2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग सातवां चरण				1005.44
आठवां चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग आठवां चरण				1005.44
नवां चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग नवां चरण				1005.44
दसवां चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है०	4768.00/ per year	944.06
2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है०	310.00	61.38
	योग दसवां चरण				1005.44
	कुल धनराशि				
			प्रथम चरण		104216.27
			द्वितीय चरण		6328.72
			तृतीय चरण		7784.96
			चतुर्थ चरण		1005.44
			पंचम चरण		1005.44
			छठा चरण		1005.44
			सप्तम चरण		1005.44
			अष्टम चरण		1005.44
			नवम चरण		1005.44
			दशम चरण		1005.44
			कुल योग		125368.06
			या		125400.00

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- भगवत सिंह

ग्राम- गौरीलाकोटुली

कास सेक्शन... Km. 1. km. 2-4 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री भगवत सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम गौरीलाकोटुली पटवारी वृत्त डिजाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	137/2860	0.0330
2		
3		
4		
5		
6		
7		

[Signature]

सहायक अधीक्षक
निर्माण विभाग, सी० नि० वि०
अल्मोड़ा

[Signature]

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

[Signature]
(व्यक्ति के)
ग्राम

ग्राम पंचायत
अल्मोड़ा

[Signature]
राजस्व उपनिरीक्षण
विभाग
अल्मोड़ा
सहायक निरीक्षक
अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- जीवन सिंह
ग्राम- गंगोला कोटली

कास सेक्शन...Kms. 1. hcc. 8. 1. 2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री जीवन सिंह पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम गंगोला कोटली पटवारी वृत्त झिआड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0168
2		
3		
4		
5		
6		
7		

जहमा देवी
(सती देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
झिआड-ताकुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
सहमील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- गोविन्द सिंह
ग्राम- गंगोला कोटली

कास सेक्शन...Kms. 2. hcc. 0. 2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम गंगोला कोटली पटवारी वृत्त झिआड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0100
2		
3		
4		
5		
6		
7		

जहमा देवी
(सती देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
झिआड-ताकुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
सहमील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- विरेंद्र सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन 1/2/4/6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री विरेंद्र सिंह पुत्र श्री विशान सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त झिझाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0050
2		
3		
4		
5		
6		
7		

लक्ष्मी देवी
(सपत्नी देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
ख०-ताकुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र 1/2/4/6
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- नन्दन सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन 1/2/4/6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री कैशर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त झिझाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0090
2		
3		
4		
5		
6		
7		

लक्ष्मी देवी
(सपत्नी देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
ख०-ताकुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र 1/2/4/6
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- शिव सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन 1/4/4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री शिव सिंह पुत्र श्री केशर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त सिडाइ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0090
2		
3		
4		
5		
6		
7		

शिव सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत में
वि०ख०-ताकु

राजस्व उपनिरीक्षण
शिव सिंह
क्षेत्र-1/4/4-6
तहसील/जिला- अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

शिव सिंह
भवदीय
नाम- शेर सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन 1/4/4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री शेर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त सिडाइ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0450
2		
3		
4		
5		
6		
7		

शिव सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत में
वि०ख०-ताकु

राजस्व उपनिरीक्षण
शिव सिंह
क्षेत्र-1/4/4-6
तहसील/जिला- अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय
नाम- विश्वान सिंह
ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Ka. 5 huc 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काश्तकार श्री विश्वान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह
ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त डि.सा.ड जिला अल्मोड़ा

के नाम भूमि विवरण
निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0710
2		
3		
4		
5		
6		
7		

मोती सिंह
ग्राम
ग्राम पंचायत गंगोलाकोटली
हि०सं०-साकुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
क्षेत्रिक उपनिरीक्षक
क्षेत्र डि.सा.ड
सहस्रील/जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-25

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 11 किमी० है।

मोती सिंह
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

मोती सिंह
कर्मचारी

मोती सिंह
कर्मचारी

मोती सिंह
कर्मचारी

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोगेश्वर में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 5.00 किमी0) (प्रथम चरण)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता अल्मोड़ी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्राप्त 13/07/2009

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सेवा में ग्राम सभा का उतापलित प्रमाण पत्र
अधिकांश अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

Recd on 13-7-2009
ME/16

लेखक:- समस्त ग्रामवासी गंगोलाकोटुली
विषय:- शहीद मोहन सिंह सड़क के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

अहोदय,
आज दिनांक 23-05-2009 को ग्राम सभा की ग्राम सभा में इस सड़क की सर्वे के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ, तथा सर्वे समिति से सभी ग्रामवासी इस बात से सहमत हुए कि अन्त सड़क हमारी क्षेत्र में नष्ट के समान्तर जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पुरानी आपत्ति को निरस्त समझा जाय। और अग्रिम कार्यवाही सुचारु की जाय।

कोटो प्रति स्थापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

ग्राम सभा अध्यक्ष गंगोला कोटुली
लोक निर्माण विभाग-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
फोन नं- 9411119957

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 श्री केशव काजी
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

कोटो प्रति स्थापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

(28) धरन राम
 (29) गोपाल राम
 (30) ~~शिव~~
 जोगा राम
 नागेश्वर राम
 देवान राम
 जगदीश राम
 नाथलाल सिंह
 गोपाल सिंह
 दीवान सिंह
 दिवान सिंह
 बलराम सिंह
 राम
 बाधकादेवी
 भाग्येश्वर सिंह
 भाग्येश्वर

कोटो प्रति सत्यपित

सहायक आयुक्त,
 विभाग खण्ड, लो.नि.वि.ब.
 बलवाहा

धरन राम
 Prakash
 -
 Shankar
 -
 Duni Ram
 -
 -
 कुरराम सिंह
 -
 -

कोटो प्रति सत्यपित

सहायक आयुक्त,
 विभाग खण्ड, लो.नि.वि.ब.
 बलवाहा

(28)
 (29)

FIRST No. 10 55

कोटो नं० 94/11/9957

अज्ञापति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के विस्तार रीकरण से ग्राम बासी प्रथम रूप से सहमत हैं। मोटर मार्ग धरन राम (अज्ञापति) मोहन सिंह, शंकर सिंह, रणजीत सिंह एवं ना राघवा सिंह काकी (पुखोला) मल्लोपाय बाहों के घरों के आगे अज्ञापति नदर के कोटो प्रति सत्यपित

सहायक आयुक्त,
 विभाग खण्ड, लो.नि.वि.ब.
 बलवाहा

प्रभावती
 धार संचायक संगीला फोटो
 धार संचायक-बसीमी (बलवाहा)

- | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 1) देवेन्द्र सिंह बिबर | शिव | 25) भूपाल सिंह मीन | Prakash |
| 2) हनुम बिबर | हनुम बिबर | 26) चानादेहि गोत्र | Prakash |
| 3) हिमत सिंह बिबर | हिमत सिंह | 27) रणु-डीहि गोत्र | Prakash |
| 4) मोहन राम नामोद राम | मोहन राम | 28) देवीजलम | देवीजलम |
| 5) नीरा बिबर | नीरा बिबर | 29) लीला देवी | लीला देवी |
| 6) मरुदुसि बिबर | मरुदुसि बिबर | 30) शांती देवी | शांती देवी |
| 7) लक्ष्मी देवी | लक्ष्मी देवी | 31) श्रीमती राधा बिबर | श्रीमती राधा बिबर |
| 8) शैल प्रद्योबि | शैल प्रद्योबि | 32) गोपाल राम | सखरी |
| 9) पुस्त राम धरन राम | पुस्त राम | 33) सरस्वती देवी | सरस्वती देवी |
| 10) गुलाब राम | गुलाब राम | 34) दीपा काकी | दीपा काकी |
| 11) मरुदुसि बिबर | मरुदुसि बिबर | 35) धरन सिंह काकी | धरन सिंह |
| 12) कुरराम सिंह बिबर | K.S.Ram | 36) राधा देवी | राधा देवी |
| 13) बलका देवी | बलका देवी | 37) हिमत सिंह बिबर | हिमत सिंह बिबर |
| 14) जेशन्ना देवी | जेशन्ना देवी | 38) देवी देवी | देवी देवी |
| 15) | | 39) देवी देवी | देवी देवी |
| 16) | | 40) | |
| 17) | | 41) | |
| 18) | | 42) | |
| 19) ममता देवी | ममता देवी | 43) सुधर सिंह काकी | सुधर सिंह काकी |
| 20) विमला देवी | विमला देवी | 44) कमला देवी | कमला देवी |
| 21) शशी देवी | शशी देवी | 45) विमला देवी | विमला देवी |
| 22) मोहन राम | मोहन राम | 46) विमला देवी | विमला देवी |
| 23) तिल राम | तिल राम | 47) कुशी देवी | कुशी देवी |
| | | 48) देवी देवी | देवी देवी |

कोटो प्रति सत्यपित
 सहायक आयुक्त,
 विभाग खण्ड, लो.नि.वि.ब.
 बलवाहा

12
55

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के विस्तारण को भरगोव नहर के समीप से आने पर ग्राम-मिजांड, किरड़ा के ग्रामीण भी लाभान्वित होंगे।
अतः इस मोटर मार्ग का विस्तार भरगोव नहर के समीप ही किया जाय।

हस्ताक्षर
श्री ४७० - ताकुवा (मल्होडा)

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोनिविड
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग जो कि खड़ाहू से कसौली तक का विस्तारीकरण प्रस्तावित है, उसे भरगोव नहर के समानान्तर से करनी कसौली मिलाया जाय, इस संसद ग्राम पंचायतवासी हिस मत से सहमत है।

फोटो प्रति सत्यापित

Balwinder
(बलवंतर सिंह, मिड) 28/12/08
प्रधान

सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोनिविड
श्री ४७० - ताकुवा (मल्होडा)

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोनिविड
अल्मोड़ा

55
12
65

भारतीय जनता पार्टी, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

भारतीय जनता पार्टी
निर्माण खण्ड,
लोनिविड,
अल्मोड़ा

निवास: ग्राम - गंगोला कोटली
पो. खड़ाऊ, ब्लॉक - ताकुवा
जिला - अल्मोड़ा
9412927974

A/से.प.को.182008

दिनांक: 29/12/08

सेवा में,
श्रीमान अग्रि
अभियंता महोदय
निर्माण खण्ड - लोनिविड - अल्मोड़ा

विषय: शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग निर्माण संबंधित।

महोदय,
शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का विस्तारीकरण गंगोला कोटली से ऊपर 5 किमी. किया जाता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण गंगोला कोटली क्षेत्र के अनर्गल परत राम (अद्यतन) परत सिंह, शंकर सिंह, रणजीत सिंह एवं नारायण सिंह (कि. हा. सं. अ. सं. सं.) काकी, तथा नदीघाट में भरगोव नहर के समीप से किया जाय।
महोदय, ग्राम - उराडी एवं लोक नोली (भरुना) में जनभावनाओं को ध्यान में रखकर पीछे कार्य प्रारंभ करवाने की शृंषा करेंगे निर्देश सड़क के अग्रिम में ही पर्याप्त से शहीद जनता को सुक्ति मिले।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोनिविड
अल्मोड़ा

सागर,
भारतीय जनता पार्टी
(सचिव देवी)
सदस्य
श्री ४७० - ताकुवा (मल्होडा)

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोनिविड
अल्मोड़ा

चन्दन सिंह बिष्ट

ग्राम प्रधान कुलडी
पो 0 औ - भैसोड़ी, वि 0 ख 0 ताकुला,
तहसील जिला अल्मोड़ा
सम्पर्क : 253147, मो 9411516110

पत्रांक सेवा मे
श्री मान कार्यालय अधिवासी अभियन्ता विभाग दिनांक 24-5-09
लो. नि. कि. खण्ड अल्मोड़ा

बिषय: कौन्सी नोर्गवर गैर मोटर गाड़ी से गेटेड रिस्टोर्ट के निकट से दलाडी-चुराड़ी-मल्ला गाँव-खंडाऊ गेटेड मोटर गाड़ी से एक मोटर सिट्टे मोटर गाड़ी जोड़ने का कार्य

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि संदर्भ शासन का पत्रांक 528 (पत्रा. कु.) 08 दिनांक 21-5-08 यह मार्ग गेटेड खण्ड मोटर सिट्टे से कौन्सी से विस्तार के अन्तर्गत आता है जिसका आगमन कुं. शा. लो. नि. कि. अल्मोड़ा के पत्रांक 109571505 (पत्रा. 109) दिनांक 6-12-07 द्वारा उत्तरांचल शासन को प्रेषित है जिसमें कीलिका 5 कि. मी. की है जिसकी लागत 1.75 लाख स्वीकृति हो चुकी है जिसकी सर्वे 28-3-09 से 31-3-09 इन तीन दिनों में स्वामी मल्ला गाँव-चुराड़ी-दलाडी से गेटेड रिस्टोर्ट मोड तक दूरी है चुकी है 19-5-09 द्वारा सर्वे भी हो चुकी है इस सर्वे के लिए इस इलाके क्षेत्र वासी आपका स्वागत करते हैं, इस रोड पर सफाई जगता खुस है क्योंकि गेटेड रिस्टोर्ट कौन्सी से दलाडी-चुराड़ी-मल्ला गाँव-खंडाऊ तल्ला सूनरा-कौन्सी-दलाडी-सुमेश्वर-शमी खेत-शितलारखत सिदा काकड़ी घाट तक काइरा रोड का सिदा सम्पर्क बन रहा है। मल्ला सूनरा

कोटे प्रति सत्यपित

48/60 नोर्गवर स्थित जुड़ रहे है। महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र की जगता को हेतुविकी अभियन्ता. से सर्वे से जोड़ आपत्त नही है सभी सहमत है। इस क्षेत्र की जगता कृपा न कारगर मती. उम्मीद है। आपका स्वागत करते इस रोड का कार्य शीघ्र चलावा चहती है।

ग्राम प्रधान कुलडी
श्रीमान चन्दन सिंह
दिनांक 24-5-09
विभाग अल्मोड़ा

कोटे प्रति सत्यपित

सहायक अभियन्ता,
विभाग खण्ड, लो. नि. कि.
अल्मोड़ा

62

- 23) नाम
- 24) कुं-द-नी सिंह
- 25) दीवान सिंह
- 26) राम सिंह
- 27) विरेन्द्र सिंह
- 28) के. ए. सिंह
- 29) लक्ष्मण सिंह
- 30) भूमिगत सिंह
- 31) रायरा सिंह
- 32) नरुली देवी
- 33) पुनली देवी
- 34) गुलाब सिंह
- 35) रजना बिष्ट
- 36) जगती देवी
- 37) गोपाल सिंह दलाडी
- 38) नारायण राम
- 39) प्रताप सिंह
- 40) हरि सिंह
- 41) शंकर सिंह

कोटे प्रति सत्यपित

सहायक अभियन्ता,
विभाग खण्ड, लो. नि. कि.
अल्मोड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सन्तत चुराडी तालाब नरीली गाँव के डक 24 5 09 को खुले पदगण में बँकडे गमी जिलाने भूखण्ड नोड से गेटेड मोटर सिट्टे रोड की ही चालक करी सभी सहमत है पर दो तीन जगता को खेत तीन जगता सुधी का अपरम है।

श्रीमान चन्दन सिंह
दिनांक 24-5-09
विभाग अल्मोड़ा


श्रीमान चन्दन सिंह
दिनांक 24-5-09
विभाग अल्मोड़ा

कोटे प्रति सत्यपित

सहायक अभियन्ता,
विभाग खण्ड, लो. नि. कि.
अल्मोड़ा

62

कार्य का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग सिविल मीटर सिविल बसोली तक विस्तार ल. 5.00 किमी



[Signature]
A.E.

[Signature]
E.E.

[Signature]
E.E.

Component wise Details of Construction Work

Part 1.

- 1- Hill cutting and filling.
- 2- Construction of Scupper

Part 2.

- 1- Construction of parapet.
- 2- Construction of R/B wall.
- 3- Construction of Km. Stone, Hec. Stone, Edge Stone.
- 4- Soiling to remove defects.
- 5- Construction of katcha drain

Improvement.


- 1- Soiling
- 2- Inter Coat
- 3- Top Coat
- 4- Surface Course.
- 5- Construction of pucca Drain
- 6- Crash barriers/Delinators
- 7- Road Marking
- 8- Sign Boards.


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिनियम 1980 के अर्न्तगत
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 200/2146/09
जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु
प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

नवम्बर 2009

जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत 5.00 किमी⁰ लम्बाई में शहीद मोहन सिंह मार्ग को बसौली तक विस्तार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिष्ठात्री अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.10.2009 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता को जो एसे कन्याल के साथ निरीक्षण किया गया।
2. बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामीणों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। पातलीबाई नदी मोटर मार्ग से शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग 2.00 किमी⁰ लम्बाई में पूर्व निर्मित है। इस मार्ग के अंतिम बिन्दु से आगे प्रस्तावित समरेखन एक आरम्भ होता है तथा 4.90 किमी⁰ लम्बाई के बाद अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर बसौली के समीप पूर्ण होता है। प्रस्तावित मार्ग से ग्राम गंगोला कोटुली, चुराड़ी तथा बसौली आदि लाभान्वित होते हैं। अवगत कराया गया कि अलग-अलग भाग में समरेखन नाप भूमि, सिविल भूमि तथा आरक्षित वनभूमि से होकर गुजरता है। समरेखन में दो हेयर पिन बैंड है जो कि 4 तथा 5 में दिये गये हैं। समरेखन क्षेत्र में माईका शिस्ट चट्टान हैं तथा स्थान-स्थान पर इनके मिट्टी व डेब्री का आवरण बर्धन है। किमी⁰ 1 के अन्त में लगभग 150 मी⁰ लम्बाई में पहाड़ी ढलान तीव्र है जिसमें मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो जाने के कारण मार्ग निर्माण में सावधानी अपेक्षित होगी। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित समरेखन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह शक्यता में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटैनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भाग में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।
 - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
 - (ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

- (च) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
 - (छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
 - (ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
 - (झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।
4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-
- (i) मार्ग कटान के पश्चात् हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्याइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।
5. शहीद मोहन सिंह मार्ग बसौली तक विस्तार हेतु 4.90 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-उ०/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

श्री यो प्रति महापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

H. Kumar
9.11.09
सुबेदानिक
कार्यालय मुख्य शक्ति स्तर-1
लो०नि०वि० देहरादून
देहरादून

श्री यो प्रति महापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iii) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, ल० नि० वि०
बल्थोड़ा


प्रमाणित एजेन्सी
निर्माण खण्ड, ल० नि० वि०
बल्थोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)


:मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र:

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, 10 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


अथोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


अधिसारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रयोक्ता एजेन्सी),
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


जिलाधिकारी उदर,
अल्मोड़ा

इतिहासकारित


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
सोमेश्वर

तहसीलदार
सोमेश्वर


तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रमाणित वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0स0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	गंगोला कोटुली	455	85
2	चुराड़ी	112	19
3	भकुना	1144	220
	खड़ाऊ	126	20
4	बसोली	322	58
5	भैंसाड़ी	265	49
योग		2424	451


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता एजेन्सी
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....
2. हरियाली का घनत्व.....
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....

प्रभागीय वनाधिकारी

आदेश व००१
4/11/2012/25

वन प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद अल्मोड़ा

वन प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
बधिशासो अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 450000.00 प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 2.3500 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रुपये 1057500.00 होता है।

07
वन विभागाधीन
अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा
तहसीलदार
सोमेश्वर

इतिहासकारि

जिलाधिकारी

वन जिलाधिकारी
सोमेश्वर

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिX.....वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रसवेकता एंजोन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

काशी वरुण
अल्मोड़ा

वन विभागाधीन
अल्मोड़ा

वन जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र-52

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु0 में)	धनराशि (रु0 में)
			ल0	चौ0	ऊ0				
	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
4	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
5	पानी की दुलाई आदि								
6	कुल योग								

बासोली बस
जनपद अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

प्र. वे. वि. वि. वि.
जनपद अल्मोड़ा

Undertaking of user agency to bear the cost of demarcation work

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु पिलरों के निर्माण की धनराशि को याचक विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। उसकी धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग उपलब्ध कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
अल्मोड़ा

अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
अल्मोड़ा
प्रयोक्ता एजेन्सी

सारणी-10

संलग्नक सं०	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	Attached status	
		Yes	NO
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	✓	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	✓	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. भूचित्र जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	✓	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	✓	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	✓	
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	✓	
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	✓	
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	✓	
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु नैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	✓	
1.11	Cost benefit analyses (in more than 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विस्तृत लाभ-हानि विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	✓	

सारणी-11

संलग्नक सं०	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	Attached Status	
		Yes	No
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	✓	
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	✓	
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	✓	
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment or alternate site वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं	✓	
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि	✓	
2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soym, Van panchayat प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शेड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि	✓	
2.7	Category wise (RF,civil soym, Van panchayat and private nap land, परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन,	✓	
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	✓	
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	✓	
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory क्षतिपूर्क वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	✓	
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय	✓	
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	✓	
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि	✓	
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम	✓	
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन	✓	
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	✓	
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file). न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	✓	
2.20	Whather project area is a part of National Park or sanctuary and airal प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	✓	
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि	✓	
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो	✓	

2.23	No violation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	✓	
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रकलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा	✓	
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file). अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	✓	
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू-वैज्ञानिक की आख्य।	✓	
2.29	Task Force report. टार्स्क-फोर्स रिपोर्ट।	✓	
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in टार्स्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.32	No historical/monumental or religious place will be effected certificate धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.33	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.34	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	✓	
2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई	✓	
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file). लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.4	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	✓	
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation क्षतिपूर्क वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया		✓